भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:1123

24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश

†1123. श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा 28 अप्रैल 2022 को जारी एडवाइजरी से पहले पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले भारतीय छात्रों की कुल संख्या कितनी है, जिनके मामले गृह मंत्रालय से सुरक्षा अनापत्ति के लिए लंबित हैं;

(ख) सरकार द्वारा ऐसी सुरक्षा अनापत्ति की प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाले औसत और अधिकतम समय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन आवेदनों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि नीति परिवर्तन से पहले प्रवेश लेने वाले छात्र केवल सुरक्षा सत्यापन के लंबे समय तक लंबित रहने के कारण लाइसेंसिंग परीक्षा में बैठने के अवसर से वंचित न हों?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): दिनांक 28 अप्रैल, 2022 की राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की एडवाइजरी होने से पूर्व पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजों में भारतीय छात्रों के प्रवेश संबंधी जानकारी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा नहीं रखी जाती। हालांकि, एनएमसी समय-समय पर उन छात्रों के संबंध में गृह मंत्रालय (एमएचए) से सुरक्षा अनापत्ति मांगता है, जिन्हें दिनांक 13.04.2022 से पूर्व पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिला था।

गृह मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के आधार पर सुरक्षा अनापत्ति जारी की जाती है। इसके पश्चात्, एनएमसी, गृह मंत्रालय से सुरक्षा अनापत्ति प्राप्त होने पर, पात्रता प्रमाणपत्र (ईसी) जारी करने के लिए आवेदनों पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई करता है।

*****